हिमाचल प्रदेश आवास बोर्ड, निर्माण मण्डल, शिमला-2 का वर्ष 4/93 से 3/94 तक का लेखा परीक्षा एवं निरीक्षण प्रतिवेदन ।

अवधि 1.4.1993 से 31.3.1994 तक

भाग एक

1. गत लेखा परीक्षा प्रतिवेदन :

गत लेखा परीक्षा एवं निरीक्षण प्रतिवेदनों के शेष पैरों की वर्तमान स्थिति निम्न प्रकार से है । अतः इन शेष पैरों के निपटानार्थ समुचित कदम उठाए जायें तथा अनुपालना से इस विभाग को अवगत करायें ।

(क) लेखा परीक्षा प्रतिवेदन 4/84 से 3/85 तक :

(1) पैरा 3 — निर्णीत ।
(2) पैरा 4 — अनिर्णीत ।
(3) पैरा 6(10)(ए) — अनिर्णीत ।
(4) पैरा 7 — निर्णीत ।

(ख) लेखा परीक्षा प्रतिवेदन 4/85 से 3/86 तक :

(1) पैरा 10(बी) — निर्णीत ।
(2) पैरा 12(2) — निर्णीत ।
(3) पैरा 16 — निर्णीत ।

(ग) लेखा परीक्षा प्रतिवेदन 4/86 से 3/87 तक :

(1) पैरा 4(7) — निर्णीत ।
(2) पैरा 4(8) — निर्णीत ।
(3) पैरा 14 — निर्णीत ।

(घ) लेखा परीक्षा प्रतिवेदन 4/87 से 3/88 तक :

(1) पैरा [illegible] — निर्णीत
(2) पैरा 4(15) — निर्णीत ।
(3) पैरा 5(1) — अनिर्णीत ।
(4) पैरा 5(II) — निर्णीत ।
(5) पैरा 5(3) — अनिर्णीत ।
(6) पैरा 5(4) — अनिर्णीत ।

क्रमशः

(7) पैरा 5(5) — निर्णीत ।
(8) पैरा 5(6) — अनिर्णीत ।
(9) पैरा 5(7)(8)(9)(10) — निर्णीत ।
(10) पैरा 7(2,3,4,5,6) — निर्णीत ।
(11) पैरा 8(7,8,9) — निर्णीत ।
(12) पैरा 9(6) — अनिर्णीत ।
(13) पैरा 10(3) — निर्णीत ।
(14) पैरा 11(1) — अनिर्णीत ।
(15) पैरा 11(बी-1) — निर्णीत ।
(16) पैरा 11(4)(ए,डी) — निर्णीत ।

(ङ.) <u>लेखा परीक्षण प्रतिवेदन 4/88 से 3/89 तक :</u>

(1) पैरा 4(2)(3) — अनिर्णीत ।
(2) पैरा 4(4)(डी,एफ — अनिर्णीत ।
(3) पैरा 4(6)(डी — निर्णीत ।
(4) पैरा 4(7)(~~8, 9, 12~~ VIII, IX, XII — निर्णीत ।
(5) पैरा 4(10, 11, 12) — अनिर्णीत ।
(6) पैरा 5(1) — निर्णीत ।
(7) पैरा 5(1)(डी) — निर्णीत ।
(8) पैरा 8 — अनिर्णीत ।
(9) पैरा 9 — अनिर्णीत
(10) पैरा 10 — निर्णीत ।
(11) पैरा 12(9) — अनिर्णीत ।

(च) <u>लेखा परीक्षण प्रतिवेदन 4/89 से 3/90 तक :</u>

(1) पैरा 4(5)(बी) — निर्णीत ।
(2) पैरा 4(5)([illegible]) — अनिर्णीत ।
(3) पैरा 4(8)(बी), 4(8)([illegible]), 4(11)
(12)(15-ए) — अनिर्णीत ।
(4) पैरा 4(9)(10)(13)(14)(16) — निर्णीत ।
4(17) — अनिर्णीत ।

— 155 -

4§18§	अनिर्णीत ।
4§19§	निर्णीत ।
4§20§	अनिर्णीत ।
4§21§	निर्णीत ।
§5§ पैरा 5§1§	अनिर्णीत ।
पैरा 5§2§	निर्णीत ।
§3§	अनिर्णीत
§4§	निर्णीत ।
§5§ ~~पैरा~~ निर्णीत ।	
§6§	निर्णीत ।
§7§ ~~पैरा~~	निर्णीत ।
§8§	निर्णीत ।
§9§ X	अनिर्णीत ।
§10§	निर्णीत ।
§6§ पैरा 6§1§	अनिर्णीत ।
6§2§	निर्णीत ।
6§3§	निर्णीत ।
6§4§	निर्णीत ।
§7§ पैरा 6§7§	निर्णीत ।
§8§ पैरा 7	अनिर्णीत
§9§ पैरा 8§1§	निर्णीत ।
8§2§	निर्णीत ।
8§4§	निर्णीत ।
8§5§	निर्णीत ।
8§6§	निर्णीत ।
8§7§	निर्णीत ।
8§8§	निर्णीत ।
8§9§	-"-
8§10§	-"-
8§11§	-"-
8§12§	-"-

....

(क) <u>लेखा परीक्षा प्रतिवेदन 1990-91:</u>

(1) पैरा 4(क)(ख)	निर्णीत।	
(2) पैरा 5(क-1,2,3)	अनिर्णीत।	
(3) पैरा 5(ख-1 से 8 तक)	-"-	
(4) पैरा 5(ग 1 से 4 तक)	-"-	
(5) पैरा 5(घ) 5 से 7 तक	-"-	
(6) पैरा 5(च) 1 से 7 तक)	-"-	
(7) पैरा 5(छ) 1 से 3 तक	-"-	
(8) पैरा 5(झ)(ज 1 से 7 तक)	-"-	
5(झ 1,2)5(ञ) तथा ट	-"-	
5(ठ-1-2	-"-	
5(ड-1 से 4 तक	-"-	
5(ढ 1 से 6 तक	-"-	
5(त)		
(9) पैरा 5(ण)	निर्णीत।	
(10) पैरा 5 द(1)(2)	निर्णीत।	
(11) पैरा 5(द)(1)(2)	निर्णीत।	
(12) पैरा 5(द)(3)	अनिर्णीत।	
(13) पैरा 5(न)(क)	निर्णीत।	
(14) पैरा 5(प,अ,म)	अनिर्णीत।	
(15) पैरा [illegible](क,ख,घ,ङ)	अनिर्णीत।	
(16) पैरा 6(ग)	निर्णीत।	
(17) पैरा 7(क)	अनिर्णीत।	
(18) पैरा 7(ग)	निर्णीत।	
(19) पैरा [illegible]	निर्णीत।	
(20) पैरा 9[illegible]	निर्णीत।	
(21) पैरा 10(क)	अनिर्णीत।	निर्णीत
(22) पैरा 10(ग)	अनिर्णीत।	
(23) पैरा 11(क)	निर्णीत।	
(24) पैरा 11(ग)	अनिर्णीत	

—157—

(25) पैरा 12	अनिर्णीत ।
(26) पैरा 13(क)(ख)	निर्णीत ।
(27) पैरा 13(ग,घ,ङ.)	अनिर्णीत ।
(28) पैरा 14(क,ख,ग,ङ.च)	अनिर्णीत ।
(29) पैरा 15(क)	निर्णीत ।
(30) पैरा 15(ख,ग)	अनिर्णीत ।
(31) पैरा 16(क-1,2) ख,घ,ङ.,झ,ञ,ट)	अनिर्णीत ।
(32) पैरा 16(ग,च,छ,ज)	निर्णीत ।
(33) पैरा 17(क,ख)	निर्णीत ।

(ज) लेखा परीक्षण प्रतिवेदन 4/91 से 3/92 तक :

(1) पैरा 4(क,ख)	निर्णीत ।
(2) पैरा 5(क,ख,ग,घ,ङ.,च छ-1,2,ज,झ,ञ,ट(ठ-2,ड-2 ण, त	अनिर्णीत
(3) पैरा 5(छ(3(द,ह)(1)(ट)1)	निर्णीत ।
(4) पैरा 6,ख(1 से 3 तक(ग,ङ.,च	अनिर्णीत ।
6(क) तथा 6(घ)	निर्णीत ।
(5) पैरा 7(क)	निर्णीत ।
~~(1)~~ पैरा 7(ख)	निर्णीत ।
(6) पैरा 8(क)	निर्णीत ।
पैरा()(ख)	निर्णीत ।
(7) पैरा 9(क,ग,न)	अनिर्णीत ।
9(ख)	निर्णीत ।
(8) पैरा 10(क)(ख)	अनिर्णीत ।
~~(1)~~ 11(क)	निर्णीत ।
(9) पैरा 11 ख)	अनिर्णीत ।
12(ग)1)	निर्णीत ।
(10) पैरा 12(क,ख,2 घ,ङ.,1-2	अनिर्णीत ।
12-2(ग)	निर्णीत ।
(11) पैरा घ	निर्णीत ।

(झ) लेखा परीक्षण प्रतिवेदन वर्ष 1992-93 :

(1) पैरा 4(क)	निर्णीत ।
(ख)	निर्णीत ।
(2) पैरा 5(क)	निर्णीत ।
(3) पैरा 5(ख)	निर्णीत ।
(4) पैरा 6(क, ख)	अनिर्णीत ।
(5) पैरा 6(ग)	निर्णीत ।
(6) पैरा 7	निर्णीत ।
(7) पैरा 8(क)	निर्णीत ।
(8) पैरा 8(ख)	निर्णीत ।
(9) पैरा 9(क)	निर्णीत ।
(10) पैरा 9(ख)	निर्णीत ।
(11) पैरा 9(ग)	अनिर्णीत ।
(12) पैरा 9(घ)	निर्णीत ।
(13) पैरा 10(1)	निर्णीत ।
(14) पैरा 10(2)	-"-
(15) पैरा 10(3)	-"-
(16) पैरा सं0 10(4)	-"-
(17) पैरा 11(1)	-"-
(18) पैरा 11(2)	-"-
(19) पैरा 12	-"-
(20) पैरा 13	-"-
(21) पैरा 14	-"-
(23) पैरा 15(क)	निर्णीत ।
(15(ख)	निर्णीत ।

भाग दो

2. **वर्तमान लेखा परीक्षण :-**

वर्तमान लेखा परीक्षण 4/93 से 3/94 तक की अवधि का, जिसके परिणाम आगामी पैरों में दिए गए हैं, सर्वश्री एस.आर.रंजन के.एस.पटियाल, एल.एस. कायथ, पी.आर.चौहान, तथा एस.सी.गुप्ता अनुभाग अधिकारियों, द्वारा 28.6.95 से 14.8.95 तक शिमला में किया गया। मास 3/93 तथा 4/94 के लेखों की विस्तृत जांच हेतु का चयन किया गया तथा निम्न पैरों में वर्णित अभिलेखों के अतिरिक्त अन्य समस्त अभिलेख लेखा परीक्षण में प्रस्तुत किए गए।

3. **लेखा परीक्षण शुल्क :-**

निर्माण मण्डल शिमला के वर्ष 1993-94 के लेखाओं के लेखा परीक्षण शुल्क राजकीय कोष में जमा करवाने हेतु हि0प्र0 आवास बोर्ड मुख्यालय को संयुक्त रूप से पृथक से सूचित किया जाएगा।

4. **अग्रिम :-**

(क) **भंडारी वर्ग को अग्रिम :-**

हि0प्र0 आवास बोर्ड शिमला मण्डल के अधीन कार्यरत विभिन्न अधिकारियों/कर्मचारियों के नाम 31.3.94 को रु0 91332.06 रु0 की राशि अग्रिम के रूप में समायोजन के लिए बकाया में पड़ी थी जिस का पूर्ण विवरण भंडारी आवास बोर्ड के वार्षिक लेखों में वर्णित है। अग्रिम राशियों को समय पर वसूल न करने की स्थिति को बोर्ड के प्राधिकारियों के ध्यानार्थ आगामी उचित कार्यवाही लाया जाता है तथा अति शीघ्र इस सम्बन्ध में उचित कदम उठाए जाए। लेखा परीक्षण में यह भी पाया गया कि बहुत से अधिकारी/कर्मचारी इस मण्डल से स्थानान्तरित हो चुके हैं परन्तु उन्होंने अग्रिम राशियों का समायोजन कराने हेतु कोई भी प्रयास नहीं किए हैं।

(ख) **विविध अग्रिम :-**

हि0प्र0 आवास बोर्ड, शिमला मण्डल के अधीन विभिन्न

विभागों/संस्थाओं/फर्मों तथा कर्मचारियों के नामों पर दिनांक 31.3.94 को 1750128.18 रु0 समायोजनार्थ शेष पड़ी थी । जिसका विवरण आवास बोर्ड के वार्षिक लेखों में दिया गया है । उपरोक्त अग्रिम की समय पर वसूल /समायोजन नहीं करने की स्थिति बहुत ही चिन्ताजनक है क्योंकि इन अग्रिम राशियों का बकाया उन द्वारा अपने पास बिना किसी औचित्य से रखना आपत्तिजनक ही नहीं अपितु अनुचित भी है । परन्तु इसके विपरीत अग्रिम राशि को वसूलने/समायोजन हेतु करने हेतु कोई भी ठोस प्रयास नहीं किए गए अतः उच्च अधिकारियों के ध्यान में उचित कार्यवाही हेतु लाया जाता है ।

5. वाउचर संख्या: 11 दिनांक 2.3.94 राशि 131576/-रु0 :

निमार्ण कार्य का नाम : डाईट परिसर शामलाघाट ।

अनुबन्ध संख्या: 3 वर्ष 1990-91

इस निमार्ण कार्य के अठारवें चलत बिल के रूप में श्री अशोक कुमार शर्मा, ठेकेदार को 128145.00 रु0 की अदायगी चैक संख्या 785715 तथा 158212 दिनांक 2.3.94 द्वारा की गई । इस बिल के जांचने पर पाया गया कि इस निमार्ण कार्य के लिए आवास बोर्ड मण्डल भण्डार से 5730 बैग सीमैन्ट जारी किए गए तथा इतनी ही संख्या की ठेकेदार से वसूली की गई । परन्तु इस बिल तक कुल सीमैन्ट बोरी, 5186 बोरी उपयोग में लाई गई है जो कि मण्डल के डाईंग ब्रांच से सीमैन्ट उपयोग विवरणिका में स्वीकृत है । इस प्रकार स्वीकृत उपभोग तालिका तथा कुल भण्डार से जारी की गई संख्या व वसूल की गई संख्या में 544 बोरी का अन्तर है । यद्यपि भण्डार से अधिक जारी की गई कुल संख्या बोरी की वसूली कर दी गई परन्तु वास्तविक उपयोग से 544 बोरी अधिक है जो कि ठेकेदार ने किसी और निजि कार्य के लिए उपयोग की गई होगी । क्योंकि इस निमार्ण कार्य का अनुबन्ध वर्ष 1994-95 के दौरान रद्द कर दिया गया है जैसे कि मण्डल कार्यालय में स्पष्टीकरण दिया गया है । इस से स्पष्ट है कि ठेकेदार ने 5186 बोरी सीमैन्ट से अधिक उपयोग में नहीं लाई है तथा भण्डार से अधिक जारी की गई 544 बोरी उससे वापिस ली जानी थी या दण्ड स्वरूप दर पर वसूली की जानी थी । इस प्रकार यदि इस कार्य के रद्द होने तक भण्डार

से जारी की गई सीमेन्ट बोरियों के बराबर उपयोग नहीं की गई हो तो नियमानुसार अधिक जारी की गई सीमेन्ट बोरियों की वापिसी या वसूली सुनिश्चित की जाए तथा अनुपालना आगामी लेखा परीक्षा में दिखाई जाए

6. वाऊचर संख्या: 186 दिनांक 31.3.94 राशि 145850/-रु0 :-

निर्माण कार्य का नाम: स्वत: वित्तीय योजना के अधीन संजौली में स्थित आवास बस्ती में 32 नम्बर श्रेणी-2 के फ्लैटस का निर्माण कार्य।

अनुबन्ध संख्या: 9 वर्ष 1991-92

इस निर्माण कार्य के लिए बारहवें चलत बिल के रूप में श्री सतीश कुमार गोयल, ठेकेदार को राशि 142081/-रु0 चैक संख्या: 78574 दिनांक 31.3.94 द्वारा भुगतान किया गया। इस बिल की जांच करने पर पाया कि मद संख्या: 13, सिलिंग तथा पारटीशन के लिए हौलोब्लाक (द्वितीय श्रेणी) में लकड़ी का निर्माण कार्य अतिरिक्त मद के रूप में निष्पादन किया गया। इस मद की दर नान-शड्यूल के आधार पर बाजार भाव पर निकाली गई बताई गई है। इस प्रकार इस मद की दर 7000/-रु0 प्रतिघन मीटर की दर से कुल मात्रा 6.633 घन मी0 के लिए राशि 46431/-रु0 का भुगतान किया गया। परन्तु इस मद की दर बाजार भाव पर निकाल कर सक्षम अधिकारी से स्वीकृत नहीं करवाई गई और न ही इस मद का विस्तृत विश्लेषण तथा अतिरिक्त मद विवरण लेखा परीक्षा को दिखाई गई। इस प्रकार इस मद के लिए 7000/-रु0 घन मीटर की दर से भुगतान अनुचित एवं अनियमित था। अत: बिना सक्षम अधिकारी से स्वीकृति प्राप्त किए ही 7000/-रु0 प्रतिघन मीटर की दर से अदायगी का स्पष्टीकरण दिया जाए। तथा इस की पुष्टि के लिए विस्तृत विश्लेषण तैयार करके तथा इस मद को अतिरिक्त मद के रूप में निष्पादित करने के लिए सक्षम अधिकारी की स्वीकृति प्राप्त करके आगामी लेखा परीक्षा में दिखाए जाए।

7. भण्डार :-

(क) एम0ए0एस0 को जारी किए गए भण्डार के सम्बन्ध में :-

हि0प्र0 आवास बोर्ड उप मण्डल सोलन के वर्ष 1993-94

— 162 —

के स्टाक एवं स्टोर की जांच उपरान्त पाया गया कि निम्नलिखित इन्डैंटों से स्टोर से विभिन्न निर्माण कार्यों के लिए विभिन्न भण्डार सामग्री जारी की गई परन्तुएम0ए0एस0 रजिस्टरों में इन की प्रविष्टियां नहीं की गई । जिससे यह स्पष्ट नहीं हो सकता कि वास्तव में यह भण्डार सामग्री निर्माण कार्यों में उपयोग में लाई गई है या फिर इसका दुरुपयोग किया गया है । यदि उपयोग में लाई गई हो तो माप पुस्तिकाओं की प्रविष्टियां लेखा परीक्षा में दिखाना आवश्यक था जो नहीं दिखाई गई । इस प्रकार इन भण्डार सामग्रियों का निर्माण कार्यों में उपयोगिता दिखाई जाए अन्यथा सम्बन्धित कर्मचारी से स्पष्टीकरण लेकर वसूली की जाए । जिस का पूर्ण ब्योरा इस प्रकार है :-

इन्डैंट सं0/तिथि	निर्माण कार्य का नाम जिसके लिए भण्डार सामग्री जारी की गई	कुल राशि	भण्डार सामग्री का नाम
10371, 1.9.93	स्वत: वित्तीय योजना 18 नम्बर श्रेणी-2 फ्लैट्स ।	6563.16	कन्सीलड स्टापकोक 36 नम्बर
10372, 1.9.93	स्वत: वित्तीय योजना 6 नं0 श्रेणी-2 फ्लैट्स ।	4375.44	यथोपरि
10373, 1.9.93	स्वत: वित्तीय योजना 12 नं0 श्रेणी-1 फ्लैट्स ।	64687.52	डोरफिटिंग तथा डोलोक वुड शर्टरज
10481, 6.11.93	स्वत: वित्तीय योजना 6 नं0 श्रेणी-1 फ्लैट्स ।	65212.35	यथोपरि ।
10484, 17.11.93	स्वत: वित्तीय योजना 6 नं0 श्रेणी-1 फ्लैट्स	52356.71	स्नेटरी फिटिंग्ज
10492, 19.1.94	स्वत: वित्तीय योजना 12 नम्बर श्रेणी-1 फ्लैट्स	80934.14	यथोपरि ।

(ख) इन्डैंटों के लेखाकरण न करने के सम्बन्ध में :

हि0प्र0 आवास बोर्ड उप-मण्डल सोलन के वर्ष 1993-94 के भण्डार की जांच उपरान्त पाया गया कि निम्नलि-

ाय चरण

— 163 —

निम्नलिखित इण्डैंटों से स्टोर से विभिन्न निमार्ण कार्यों के लिए विभिन्न भण्डार सामग्री बिन कार्डों में जारी गई दिखाई गई। परन्तु उक्त सभी इण्डैंट अभिलेख में पाये नहीं गए और न ही इन इण्डैंटों द्वारा जारी की गई भण्डार सामग्री की कीमत को विभिन्न निमार्ण कार्यों में लेखाकरण किया गया है। एम०ए०एस० रजिस्टरों में भी प्रविष्टियां नहीं दिखाई गई और न ही सम्बन्धित माप पुस्तकें, जिसमें इस सामग्री का उपयोग किया गया दिखाया हो, लेखा परीक्षण को दिखाई गई। जबकि यह सामग्री बिन कार्डों से प्रविष्टियां कर के कम की गई है। परन्तु लेखों में लेखांकन नहीं किया गया है ~~परन्तु लेखों में लेखांकन नहीं किया गया~~ इस से स्पष्ट है कि इस भण्डार सामग्री का दुरुपयोग किया गया है जिस का ब्यौरा इस प्रकार से है। अत: अब शीघ्र इन भण्डार सामग्रियों का निमार्ण कार्यों में उपयोगिता दिखाई जाए अन्यथा सम्बन्धित कर्मचारी से स्पष्टीकरण लेकर वसूली की जाए। इस सामग्री के सम्बन्ध में यह भी पता नहीं चल सकता कि किस निमार्ण कार्य के लिए भण्डार सामग्री जारी की गई ~~गई~~ है :-

बिन कार्ड संख्या	इण्डैंट सं० तिथि	भण्डार सामग्री का नाम	कुल राशि
एस.डी/एच.बी/38	10357, 14.6.93	4 नं० 40एम.एम.मैटल वाल्व	450.32
एस.डी/एच.बी/27	10357, 14.6.93	नं० 1-1/2"जीआई यूनियन	127.10
एस.डी/एच.बी/25	10357, 14.6.93	3 नं० 2"x1-1/2"जीआई रिड्यूसर	51.15
एस०डी/एच.बी/24	10357, 14.6.93	2 नं० 1-1/2"x1-1/2"जीआईटी	59.10
एस.डी/एच.बी/23	10357, 14.6.93	6 नं० 2"x1/2"जी०आई-टी	245.35
एस.डी/एच.बी/40	10356, 14.6.93	4 नं० एचसीआई पाईप 100 एमएम	536.00
एसडी/एचबी/42	10356, 14.6.93	1 नं० एचसीआई प्लेन बैण्ड ~~x2/बैण्ड~~	51.80
216-ए	10356, 14.6.93	सीमैन्ट 12 बैग	1421.00
एसडी/एच.बी/19	10651, 30.5.93	32 नं० जी.आई.पाईप	766.18
एस.डी./एच.बी./14	10357, 14.6.93	46.35 रनिंग मीटर, जी.आई.पाईप	2076.70

(ग) भण्डार सामग्री का कम पाया जाना :-

हि०प्र० आवास बोर्ड उपमण्डल सोलन के वर्ष 1993-94 के भण्डार का जांच उपरान्त पाया गया कि निम्नलिखित भण्डार सामग्री इस वित्त वर्ष के अन्त में कम पाई गई जैसे कि सम्बन्धित बिन कार्डों में प्रत्यक्ष

8. समायोजन वाउचर संख्या: 1(एस-2) राशि 53/-रु0 :

इस समायोजन वाउचर द्वारा समायोजन वाउचर संख्या 57 अवधि 3/94 का संशोधन किया दिखाया गया है तथा राशि 53/-रु0 के लिए मिश्रित अग्रिम खाते में डेबिट करके स्टाक स्टोर खाते को क्रेडिट किया गया है जबकि लेखा परीक्षण में जांचने पर समायोजन वाउचर की प्रविष्टियां सही पाई गईं जो कि 19168/-रु0 स्टाक स्टोर खाते को प्रविष्टियां ... 19168/-रु0 मिश्रित नि0 नागरिक आपूर्ति डेबिट किया गया है तथा 19168/-रु0 ... निगम खाते को क्रेडिट किया है। इस प्रकार उपरोक्त संशोधन प्रविष्टि का गलत समायोजन किया गया है। जो यह स्पष्ट करता है कि 53/-रु0 के लिए स्टाक स्टोर खाते में अधिक क्रेडिट तथा मिश्रित अग्रिम नि0 नागरिक आपूर्ति निगम खाते को अधिक डेबिट किया गया है। जिसे तुरन्त ठीक किया जाए और अनुपालन आगामी लेखा परीक्षा में दिखाई जाए।

9. समायोजन वाउचर संख्या:2 अवधि 3/94(एस0-II) राशि 90855.34रु0

उपरोक्त समायोजन वाउचर द्वारा राशि 90855.34 रु0के लिए स्टाक एवं स्टोर से अधिशेष का समायोजन दिखाया गया है। जबकि लेखा परीक्षण में जांच करने पर यह समायोजन गलत पाया गया। दिनांक 31.3.94 को जो शेष, स्टोर की सूचि तैयार की गई है उस में 3 प्रतिशत स्टोर प्रभार जोड़ा गया है जो कि गलत है। कुल स्टोर मूल्य सूचि के आधार पर जो लेखों में लिया गया है वह 282897 1.86 रु0 का लिया गया है। तथा खाते में स्टोर की कुल कीमत 31.3.94 को 273011 6.52 रु0 है तथा अधिशेष 90855.34 रु0 दिखाया गया है जो कि गलत है। जबकि लेखा परीक्षण में स्टोर सूचि के अनुसार स्टोर की कुल कीमत 276145 2.56 रु0 बनती है जिस के आधार पर स्टोर अधिशेष 23335.74 रु0 ही बनता है। इस प्रकार स्टोर अधिशेष 67519.60 रु0 (90855.34-23335.74 रु0) अधिक दिखाया गया है जिस को आवास बोर्ड के लेखों में स्टोर से आय दिखाकर लाभ-हानि विवरण में लाभ दिखाया गया है। अतः राशि 67519.60 रु0 आवास बोर्ड के अन्तिम लेखों में काल्पनिक आय दिखाई है इस प्रकार 67519.60 रु0 31.3.94

को लाभ कम है । इस काल्पनिक अधिशेष के आधार पर आवास बोर्ड के अन्तिम लेखों की स्थिति दुरुस्त नहीं है तदानुसार आवास बोर्ड के अन्तिम लेखों को अन्तिम स्वरूप देते समय इन तथ्यों को ध्यान में नहीं रखा जाता तथा प्राधिकारियों एवं सरकार को गलत स्थिति प्रस्तुत की जाती है । जो कि आपत्तिजनक एवं अनियमित है जिसे आवास बोर्ड के प्राधिकारियों के ध्यान में उपयुक्त कार्यवाही एवं अनुपालना हेतु लाया जाता है । गत वर्षों में भी इस प्रकार की आपत्ति एवं अनियमितता लेखा परीक्षा प्रतिवेदनों में उठाई जाती रही है । परन्तु आवास बोर्ड द्वारा इस ओर कोई भी ध्यान नहीं दिया जाता है ।

10. समायोजन वाऊचर संख्या: 18 अवधि 3/94(एस) राशि 437580/-रु0 :

उपरोक्त समायोजन वाऊचर द्वारा राशि 437580/-रु0 का समायोजन स्टाक एवं स्टोर खाते को डैबिट करके मिश्रित अग्रिम खाते (हि0प्र0 राज्य नागरिक आपूर्ती निगम, शिमला) को मार्च 1994 के दौरान सीमेन्ट की आपूर्ती ~~की/आपूर्ती~~ के रुप में क्रेडिट किया गया है । परन्तु लेखा परीक्षा में जांच करने पर पाया गया कि उपरोक्त में से 9 मि0 टन सीमैन्ट राशि 19890/-रु0 जी.आर. सं0 2839 दिनांक 25.4.94 द्वारा बिनकाई एवं स्टोर में प्राप्त किया है जबकि इस का लेखाकरण 31.3.94 को मण्डल लेखों में किया गया है जो कि गलत है । जबकि सीमैन्ट 25.4.94 को प्राप्त हुआ तथा 31.3.94 की भण्डार सूचि में यह मात्रा समिलित नहीं है तो इस की कीमत 31.3.94 को कैसे लेखांकित की गई है । इस प्रकार 31.3.94 को स्टोर के खाते में स्टोर की कीमत गलत है क्योंकि जितनी कीमत का स्टोर 31.3.94 को दिखाया है वह प्रत्यक्ष सूचि में मात्रा सम्मिलित नहीं है । इस प्रकार आवास बोर्ड के अन्तिम लेखों की स्थिति ठीक नहीं है । तथा जो मण्डल लेखों में स्टोर अधिशेष दिखाया गया है वह भी गलत है ।

11. समायोजन वाऊचर संख्या: 19 दिनांक 3/94(एस) राशि 132204/-रु0 :

इसी प्रकार उपरोक्त वाऊचर द्वारा 132204/-रु0 का समायोजन स्टाक एवं स्टोर खाते को डैबिट कर के मिश्रित अग्रिम खाते (हि0प्र0 राज्य नागरिक आपूर्ती निगम सोलन) को मार्च 1994 के दौरान सीमैन्ट

की आपूर्ति के रूप में क्रेडिट किया गया है । परन्तु लेखा परीक्षण में पाया गया कि उपरोक्त में से 17 मी0टन राशि 37457.60 रू0 ,जी0आर0 संख्या 1930 दिनांक 2.4.94 द्वारा बिन कार्ड एवं स्टोर में प्राप्त किया है । जबकि इस का लेखांकन 31.3.94 को मण्डल लेखों में किया गया है जो कि गलत है । जबकि सीमेन्ट 2.4.94 को प्राप्त हुआ है तथा 31.3.94 की सूचि में यह मात्रा सम्मिलित नहीं है तो इस की कीमत 31.3.94 को कैसे लेखांकित की गई है । इस प्रकार 31.3.94 को स्टोर के खाते में स्टोर का मुल्य गलत दिखाया गया है क्योंकि जितनी कीमत का स्टोर 31.3.94 को दिखाया है वह प्रत्यक्ष सूचि में यह मात्रा सम्मिलित नहीं है । इस प्रकार आवास बोर्ड के अन्तिम लेखों की स्थिति ठीक नहीं है । तथा जो मण्डल लेखों में स्टोर अधिशेष दिखाया गया है वह भी गलत है क्योंकि पूर्व पेरे में अधिशेष से सम्बन्धित उठाई गई आपत्ति में कुल स्टाक की खाते में कीमत 273816.52 रू0 है यदि इन उपरोक्त पेरों में गलत की गई प्रविष्टियों को इस में से कम किया जाए तो यह राशि 2680768.72 रू0 (2738116.52-57347.80 रू0) ही रह जाएगी तथा प्रत्यक्ष स्टाक सूचि के अनुसार कीमत 2761452.26 रू0 है तथा अधिशेष 80683.54 रू0 हो जाएगा जबकि वास्तविक अधिशेष पूर्व आपत्ति के अनुसार 23335.74 रू0 आता है । इस प्रकार मण्डल कार्यालय में अन्तिम लेखों की स्थिति सही नहीं है जिसे उच्चाधिकारियों के ध्यान में उचित कार्यवाही हेतु लाई जाती है ।

12. समायोजन वाऊचर(एस0)9 माह 3/94 कुल 13013.00 रू0

(क) उपरोक्त वाऊचर के द्वारा गाड़ी सं0 एच0आई0एस0 2744 के माह 9/93 की लाग बुक के आधार पर आऊट टर्न तैयार की गई तथा निम्न वर्णित निर्माण कार्यों के लिए गाड़ी के प्रयोग अनुसार 8.95 रू0 प्रति कि0मी0 की दर से व्यय उनके नाम डाला गया । वित्तीय वर्ष 1993-94 में निर्धारित की गई दर के अवलोकन करने पर पाया गया कि यह 10.25 रू0 प्रति कि0मी0 की दर स्वीकृत थी । जिससे यह स्पष्ट है कि नीचे दर्शाए गए निर्माण कार्यों को उनसे सम्बन्धित आऊट टर्न

1.30 रु0 प्रति कि0मी0 के हिसाब से कम लगाई गई है जिसके फलस्वरूप इन निमार्ण कार्यों को मु0 1890.20 रु0 का व्यय कम दर्शाया गया है इस कम दर्शाए गए व्यय को सम्बन्धित निमार्ण कार्यों में लेखांकित किया जाए।

क्रम सं0 तथा निमार्ण का नाम	निमार्ण कार्य से सम्बन्धित मात्रा	8.95 की दर से दर्शाया गया व्यय	10.25 रु0 की दर से जो व्यय निमार्ण कार्यों के नाम डाला जाना था।	निमार्ण कार्यों को कम दर्शाया गया व्यय
1. स्वत: वित्त योजना, स्ट्राबेरी हिल (4 नं0 श्रेणी-2 फ्लैट का निमार्ण)	109	975.55	1117.25	141.70
2. स्वत: वित्त योजना संजोली पेस-2 (32 नं0 श्रेणी-2 फ्लैटस का निमार्ण)	207	1852.65	2121.75	269.10
3. हिपा कम्पलैक्स फेयर लान (लैक्चर थियेटर कम रिफ्रैशमैन्ट हाल)	212	1897.40	2173.00	275.60
4. स्वत: वित्त योजना सोलन (श्रेणी-2 फ्लैट का निमार्ण)	245	2192.75	2511.25	318.50
5. मुख्यालय कन्टीजैन्सी	40	358.00	410.00	52.00
6. जेल काम्पलैक्स कण्डा (4 नं0 बैरक ग्रुप-1)	211	1888.45	2162.75	274.30
7. टी.आई.टी. कम्पलैक्स सामलाघाट (इन्स्टीच्यूट बिल्डिंग)	215	1924.25	2203.75	279.50
8. ट्राईबल होटल भावोनगर	215	1924.25	2203.75	279.50
योग	1454	13013.30	14903.50	1890.20

(क) समायोजन वाऊचर (एस)	माह	राशि
9	3/94	13013.30
13	3/94	18306.50

उपरोक्त वर्णित वाऊचरों के अन्तर्गत गाड़ी संख्या एचआईएस

2744 की माह 9/93 व 12/93 की लाग बुक के आधार पर आऊट टर्न तैयार की गई तथा जिन निर्माण कार्यों के हेतु गाड़ी प्रयोग में लाई गई उन्हें निर्धारित की गई दर के आधार पर व्यय उन निर्माण कार्यों के नाम पर डाला गया । लाग बुक के अवलोकन करने पर पाया गया कि यात्राओं का आवंटन स्पष्ट रूप से सम्बन्धित निर्माण कार्यों को नहीं किया गया है तथा अनुमानों के आधार पर ही यात्राऐं आवंटित की गई है । जो कि अनियमित ही नहीं अपितु आपत्तिजनक भी है । पड़ताल अवधि में की गई यात्राओं तथा भिन्न-2 निर्माण कार्यों के नाम डाली गई यात्राओं में पाई गई भिन्नता का वर्णन निम्न प्रकार से है । निम्न वर्णित निर्माण कार्यों को उनसे सम्बन्धित यात्राओं दे को ही उनके नाम डाला जाए तथा शेष यात्राओं को उचित शीर्ष जिनसे यह सम्बन्धित है, के नाम लेखा-बद्ध किया जाए ।

निर्माण कार्य का नाम	माह	यात्रा जो निर्माण कार्य को डाली गई ।	लाग बुक अनुसार वास्तव में जो यात्रा डाली जानी थी।	अधिक दर्शाई गई यात्रा	10.25 रु0 प्रति कि0मी0 की अनुमोदित दर से अधिक दिखाई गई आऊट टर्न व्यय
जेल कम्पलैक्स कण्डा 4 नं0 बैरक ग्रुप	9/93	211	154	57	584.25
डी.आई.ई.टी कम्पलैक्स शामलाघाट	9/93	215	120	95	973.75
जिला कम्पलैक्स पेयजल व ड्रेनेज मशोबरा	9/93	427	392	35	358.75
तैलक फाईनांस स्कीम तोड़ना श्रेणी-2 फ्लैट	9/93	245	220	25	256.25
यथोपरि	12/93	551	442	109	1117.25
				योग	3290.25

— 170 —

(ग) समायोजन वा0 सं0 (सप्लीमैन्ट्री 13)	माह	राशि रु0 में
13	3/94	18306.50

उपरोक्त वर्णित वाऊचर के अन्तर्गत गाड़ी संख्या एचआईए 2744 की माह 12/93 की लाग बुक के आधार पर आऊटटर्न तैयार की गई है तथा जिन निमार्ण कार्यों से यात्रायें सम्बन्धित थी, उनके नाम डाल दी गई। परन्तु दिनांक 10.12.93 व 23/24-12-93 को निगम बिहार संजोली-ढली-सोलन-सोलन लोकल व वापिस स्ट्रॉबेरी की यात्रा की गई दर्शाई है तथा उक्त यात्राओं में दो बार सोलन के लिए कुल 372 कि0मी0 की यात्रा दर्शाई गई। तथा जिसका व्यय सेल्फ फाईनेंस स्कीम सोलन श्रेणी -2 फ्लैट के खाते में डाला गया है। दो बार सोलन के लिए यात्रायें मात्र 200 कि0मी0 बनती हैं उक्त निमार्ण कार्य के नाम 372 कि0मी0 की दर्शाई गई यात्रायें किसी भी प्रकार तर्क संगत नहीं है। इस प्रकार 172 कि0मी0 की यात्रा का व्यय उक्त निमार्ण कार्य पर अनावश्यक/अनियमित रूप से डाला गया है। अतः निर्धारित दर जो कि 10.25 रु0 प्रति कि0मी0 के हिसाब से तय थी के अनुसार 1763 रु0 के व्यय को उक्त निर्माण कार्य से कम किया जाए तथा कु0 1763 रु0 को उचित लेखा शीर्ष में लेखाबद्ध किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

(घ) समायोजन वा0सं0 9 सप्लीमेंट्री	माह	राशि
	3/94	13013.30

उपरोक्त वर्णित वाऊचर के अन्तर्गत गाड़ी सं0 एच.आई.एस. 2744 की माह 9/93 की लाग बुक के आधार पर आऊट टर्न तैयार किया गया तथा सम्बन्धित निमार्ण कार्यों से सम्बन्धित यात्रायें उनके नाम डाल दी गई। परन्तु 6 से 8.9.93 तक की लाग बुक में स्ट्राबेरी से संजोली ढली, निगम विहार-सोलन-सोलन लोकल-शिमला-निगम विहार-रेलवे स्टेशन वापिस स्ट्राबेरी की यात्रा की दर्शाई गई। इस में सोलन के लिए 220 कि0मी0 की यात्रा की गई दर्शाई गई तथा यात्रा का व्यय सेल्फ फाईनेंस स्कीम सोलन श्रेणी-II फ्लैट को डाली गई। सोलन के लिए की गई यात्रा मात्र 120 कि0मी0 के लगभग ही बनती है तथा इस निमार्ण कार्य के नाम 220

— 171 —

कि0मी0 की यात्रा की गई दर्शाई गई । जो कि किसी भी प्रकार से तर्क संगत नहीं है । अत: 100 कि0मी0 की यात्रा उक्त निमार्ण कार्य को अनावश्यक/अनियमित रूप से डाली गई है । निर्धारित दर जो कि 10.25 रू0 प्रति कि0मी0 तय थी, के आधार पर 1025/-रू0 के व्यय को इस निमार्ण कार्य से कम करके तथा इस राशि को उचित लेखा शीर्ष में लेखाबद्ध किया जाना सुनिश्चित किया जाए ।

(च) समायोजन वाऊचर सं0 14 माह 3/94 मु0 3410.00 रू0

उपरोक्त समायोजन वाऊचर के अन्तर्गत स्वत: वित्त योजना संजौली व संकटमोचन परिसर में बच्चों के लिए पार्क में खेल का सामान मै0 भारत स्पोर्टस प्रा0 लिमिटिड, जालन्धर से बिल सं0 3461 व 3462 दिनांक 9.11.93 के द्वारा क्रमश: 8008 व 17212.00 रू0(कुल 25220.00) मुल्य का क्रय किया गया । यह खेल का सामान मै0 भारत टैम्पो गुड्स कैरियर जालन्धर की जी0आर0 सं0 9348 दिनांक 9.11.93 के द्वारा जालन्धर से शिमला के लिए ट्रक सं0 पी0बी0-06-2281 के द्वारा लाया गया तथा किराए के रूप में 2960.00 रू0 की राशि अदा की गई जी.आर.सं0 9348 के अनुसार यह सामान जालन्धर से शिमला के लिए बुक था । संकट मोचन परिसर से सम्बन्धित सामान संकट मोचन परिसर जो कि रास्ते में ही पड़ता था, उतारा जाने के पश्चात स्वत: वित्त योजना संजोली से सम्बन्धित सामान संजोली स्टोर में उतारा गया । गाड़ी के ड्राईवर श्री इन्द्रजीत सिंह को मु0 450.00 रू0 की अदायगी जालन्धर से शिमला के किराए के अतिरिक्त की गई । यह भुगतान श्री अरूण कुमार कनिष्ठ अभियन्ता द्वारा किया गया था । जबकि यह सामान शिमला के लिए बुक था तथा उसका किराया जी0आर0 के अनुसार 2960.00 रू0 था जिसकी अदायगी भी कर दी गई, तो इस सामान को जालन्धर से शिमला लाने हेतु पृथक से 450 रू0 की राशि किराए के रूप में किए जाने का कोई औचित्य नहीं था तथा इस अदायगी की कोई आधार नहीं था । अत: यह अदायगी स्पष्ट रूप से अनियमित व गलत है जिसकी वसूली सम्बन्धित कर्मचारी से की जाए व अनुपालना का सत्यापन आगामी अंकेक्षण के समय पर करवाएँ ।

§छ§ समायोजन वाऊचर सं0 17 माह 3/94 मु0 5767.00 रू0

शिमला से शागलाघाट के लिए कुल भार 8.505 टन चदरों की दुलाई मै0 गौरव लाईन संजोली के ट्रक सं0 एच.पी.-07-1592 से दो बार में दिनांक 30 व 31.12.93 को पूर्ण ट्रक किराए पर लेकर करवाफ करवाया गया । सामान में आई.एस.ए. 2.13 टन सी0जी0आई0 सीटस 3.375 कांट्रन व सी०जी०आई० सीटस 3 मीट्रिक टन कुल भार 8.505 मी0 टन सम्मिलित थी । दो बार का कुल किराया 1500.00 रू0 रुप वाऊचर सं0 10 व 13§प्रत्येक 750रू0§ के द्वारा मै0 गौरव लाईन संजोली को अदा किए गए । दुलाया गया सामान 2 नं0 होस्टल ब्लाक व एक नं0 इन्स्टीच्यूट बिल्डिंग डी0आई0ई0टी0 कम्पलैक्स के निर्माण कार्यों से सम्बन्धित था । कुल भार 8.505 टन को देखते हुए सामान की दुलाई एक ही बार में की जा सकती थी । जबकि इस सामान की दुलाई दो बार में करवा करके मु0 750.00 रू0 की गलत अदायग अदायगी की गई है जिसकी सम्बन्धित कर्मचारी से वसूली करके अनुवर्तन आगामी लेखा परीक्षण पर दिखाई जाए ।

§ज§ समायोजन वाऊचर सं0 15 माह 3/94 राशि 3893.75 रू0 :

श्री ब्रह्मा नन्द संविदकार को पांच ड्रम बिटुमैन निगम ति विहार की बिल्डिंग की विशेष मुरम्मत§ रोड की मुरम्मत§ के लिए जारी किए गए थे । इन ड्रमों को संविदकार से वापिस लिया गया । वापिस लेते समय ठेकेदार के खाते में 2% स्टोर प्रभार सहित 3893.75 रू0 का क्रेडिट दिया गया जबकि इस राशि में मु0 76.35 रू0 स्टोर प्रभार के है जो कि विविध आय के रुप में स्टोर प्रभार आय दिखाई जानी थी इस प्रकार ~~6.35~~ 76.35 रू0 की राशि का ठेकेदार को जो अधिक क्रेडिट दिया गया है, उसे तुरन्त वसूल करके अनुवर्तन आगामी पड़ताल पर दिखाई जाए ।

13. वाऊचर सं0 141 दिनांक 31.3.94 राशि मु0 80883 रू0

सोलन में सामाजिक आवास योजना के अन्तर्गत सड़कों की टारिंग एवं मेटलिंग का ठेका श्री मोहन सिंह चौहान, संविदकार को अवार्ड पत्र संख्या: एच0डी0ई/ए-2§326§/92-2301-07 दिनांक 3.4.92 द्वारा मु0 43557/50 रू0 §अनुबन्ध सं0 10 आफ 1992-93§ को दिया गया

— 173 —

तीसरे चलत बिल मु0 80883/-रु0 की जांच करने पर पाया गया कि इस बिल तक 27152/8380 की 3 अतिरिक्त मदों [redacted], स्टोन सोलिंग, स्टोन पिचिंग व रैन्डम बल मेसनरी का निमार्ण किया गया है इन अतिरिक्त मदों की दरों की स्वीकृति सक्षम अधिकारी से नहीं ली गई है जिस से दिए गए दरों का सत्यापन अंकेक्षण में नहीं हो सका । इस के अतिरिक्त लगभग सभी मदों मे स्वीकृत अनुमान पत्र में दर्शाई गई व निमार्ण की गई मात्रा में भारी अन्तर है जिस का विवरण निम्न प्रकार है:-

मद	स्वीकृत मात्रा	की गई मात्रा
1. प्रपेरेशन आफ सब ग्रेड वाई ड्रैसिंग टू चैम्बर अर्थ वर्क	200 मी0^2 (m)	100 मी0^2 (m)
3. बीरिंग कोट विद ब्रोकन व ब्राक स्टोन	37.50 मी0^2 (m)	52.55 मी0^2 (m)
4. तारकोल बिछाने का कार्य	500 मी0^2 (m)	610.38 मी0^2 (m)

निमार्ण कार्य मु0 43557.50 रु0 का अवार्ड किया गया तो तीसरे चलत बिल तक मु0 80883/-रु0 तक लगभग दुगना कैसे हो गया इस सम्बन्ध में स्थिति पूर्ण विवरण के साथ स्पष्ट हो तथा अतिरिक्त मदों के दर विश्लेषण सक्षम अधिकारी से अनुमोदित करवा करके अनुवर्तन आगामी लेखा परीक्षण पर दिखाई जाए ।

14. वाउचर संख्या 34,35 और 104 मास 4/93 :

स्वत: वित्तीय योजना लोअन के अन्तर्गत ब्लाक नं0 21 में रिटेनिंग वाल लगाने का कार्य श्री इन्द्रेश साहनी संविदकार को निम्न लिखित कार्य आदेशों के माध्यम से दिया गया :-

कार्य आदेश सं0	राशि	कार्य किया गया	माप पुस्तिका सं0 820
51 आफ 1992-93	17000/-	16946.87	पृ0 72 से 75
52 आफ 1992-93	7200/-	7065.60	पृ0 75 से 77
53 आफ 1992-93	17500/-	16809.26	पृ0 69 से 71

— 175 —

जिस की ~~माप~~ प्रविष्टि माप पुस्तिका संख्या 871/93 पृष्ठ 41 से 43 तक की गई है की पड़ताल करने पर पता चला है कि संविदकार को मु0 78212 रु0 का सुरक्षित अग्रिम भुगतान चैक संख्या 158227 दिनांक 11.3.94 को किया गया है परन्तु माप पुस्तिका में इससे सम्बन्धित कोई भी प्रमाण पत्र नहीं दिया गया है । और न ही सुरक्षित अग्रिम फार्म 26-ए लगाया गया है । संविदकार वही खाता भी नहीं दिखाया गया जिस से इस सुरक्षित अग्रिम की प्रविष्टि की जांच हो सके । अत: इस सम्बन्ध में पूर्ण विवरण सहित स्थिति स्पष्ट हो ।

17. <u>वाऊचर संख्या 51 दिनांक 9.3.94 राशि 37363 रु0 :</u>

स्वत: वित्तीय योजना के अधीन सोलन में रिटेनिंग वाल, सीढ़ियों और रेलिंग लगवाने का ठेका श्री मोहन सिंह संविदकार को अनुबन्ध 16 आफ 1992-93 के द्वारा पत्र सं0 एच0पी0ई0/ए-2(340)/92 247-51 दिनांक 13.1.93 को मु0 791735.37 रु0 में दिया गया ।

सातवें चलत बिल जिस की रिकार्ड प्रविष्टियां माप पुस्तिका सं0 865 पृ0 57 से 62 तक की गई है की जांच करने पर पाया गया कि संविदकार को मु0 2000/-रु0 का अधिक भुगतान चैक सं0 158226 दिनांक 9.3.94 को निम्न प्रकार से किया गया है :-

सातवें चलत बिल तक की पूर्ण राशि		= 617974.45
छटे चलत बिल तक राशि जो अदा की गई		= 558964.50
सातवें चलत बिल की राशि		= 59009 .95
वसूलियां जो इस चल बिल में करनी थी	(1)आयकर	= 1322
	(2)प्रतिभूति	= 2951
	(3)सीमेन्ट	= 19,374.30

सीमेन्ट की वसूली इस प्रकार की गई 59009.95-19374.30=39635.65

= 39636 रु0

इस प्रकार संविदकार को मु0 39636/-रु0 की अदायगी निम्न प्रकार करनी थी :-

मु0 4273/-रु0(2951 प्रतिभूति+1322 आयकर) पेशा द्वारा तथा मु0 35363/-रु0 चैक द्वारा करनी थी जबकि संविदकार

— 176 —

को चेक सं0 158226 दि0 9.3.94 के माध्यम से 37363 रु0 की अदायगी करके 2000/-रु0 का अधिक भुगतान किया गया है । अत: इस राशि को सम्बन्धित संविदाकार से वसूल करके अनुवर्ती आगामी पड़ताल पर दिखाई जाए ।

18. वाउचर सं0 71 दिनांक17.3.94 राशि 32781.25 रु0

सामाजिक आवास योजना सोलन में 48 नं0 एमआईजी फ्लैटस में शीशे लगवाने का ठेका श्री कुलभूषण पन्त को अनुबन्ध 22 आफ 1992-93, पत्र सं0 एचबीई/ए-2{342}/93-955-61 दिनांक 16.2.93 को मु0 43351.20 रु0 का दिया गया ।

तीसरे एवं अन्तिम बिल की जांच करने पर पाया कि कुल कार्य 43351.20 रु0 का दिया गया था जबकि संवीदाकार द्वारा सारा कार्य केवल 32781.25 रु0 में ही पूर्ण किया जिस का विवरण निम्न प्रकार से है :-

	अनुबन्ध	वास्तव में जो कार्य हुआ	रेट
{1} पुटी के द्वारा शीशे लगवाना	272.16 मी^{2}	214.76	140/
{2} पिन हैड ग्लास	38.88 मी^{2}	20.11मी^{2}	135/

डेविवेशन स्टेटमेन्ट,जो कि सम्बन्धित बिल के साथ संलग्न है को {-} 10569.95 रु0 की स्वीकृति प्रदान की गई है, में टिप्पणी दी गई है में लिखा गया है कि वास्तव में असली कार्य जो हुआ जो यह स्पष्ट करता है कि इस कार्य का प्राक्कलन कार्य बढ़ा कर बनाया गया था जबकि वास्तविक कार्य 25 प्रतिशत कम हुआ । जो यह स्पष्ट करता है कि प्राक्कलन वास्तविकता पर आधारित न होकर के कल्पना पर ही आधारित किया गया प्रतीत होता है । अत: इस सम्बन्ध में स्थिति पूर्ण विवरण सहित स्पष्ट करें ।

19. वाउचर सं0 52 दिनांक 13.10.93 राशि 5034 रु0 :

निम्नलिखित सामान बिल सं0 600 दिनांक 5.10.93 को चेक सं0 070440 दिनांक 13.10.93 द्वारा मु0 5034 रु0 का मै0 हिन्दुस्तान सैनिटरी स्टोर सोलन से खरीदा गया तथा इस सामान को 30 पाक्टर {टाइप-I} फ्लैटस में पानी वितरण योजना के लिए प्रयोग में लाया जाना था तथा इस सामान का इन्द्राज एमएएस रजिस्टर पृ0 46 से 57

— 177 —

तक में किया गया है :-

35 नं0 जीआईटी-1-1/4"x1/2	24/75	866.25
12-"- यूनियन 1-1/4"	33/68	403.20
5-"-जीएम गेट वल्व 1-1/4"	283/50	1417.50
10--"-जीआई इलवो 1-1/4"	16/65	~~612.50~~ 166.50
35--"-नीपल 1-1/4"	17/50	612.50
1- ="-प्लग 1-1/4"	6/25	6.25
30--"-आरएमटीपाइप 1-1/2"	27/25	817.50
30-"- सोकिट 1-1/2"	3/50	105.00
8 -"- सूत	1/30	10.40
1 केजी सफेदा	29/50	29.50
15 नं0 सोकिट 1-1/4"	11/30	169.50
30 नं0 प्लग 1/2"	1/90	57.00
		4661.10
	ST	372.90
		5034.00

परन्तु एमएस रजिस्टर के अवलोकन से पता चलता है कि 8/95 तक यह सारा सामान भण्डार में बिना उपयोग किए ही पड़ा था । 10/93 में सामान खरीदने की क्या आवश्यकता थी जबकि यह सामान निमार्ण कार्य में शीघ्र उपयोग नहीं होना था । अतः इस सम्बन्ध में पूर्ण स्थिति विस्तार से स्पष्ट हो ।

20\. **वाउचर सं0 171 दिनांक 31.3.94 राशि 13050 रु0 :**

निम्नलिखित सामान बिल सं0 3347 दिनांक 31.3.94 मै0 कुमार हार्डवेयर एण्ड इलेक्ट्रिक स्टोर सोलन से खरीदा गया :-

1. आयरन क्लिप 4"	505 नं0	50/50	
2. -"- -"- 3"	704 नं0	42/-	2550.25
3. -"- -"- 2"	256 नं0	32/-	2464.00
4. हुक स्ट्रीप 1-1/2,	45 दैकिट	42/-	682.67
5. -"- -"- 1-1/4,	32 -"-	40/-	1890/-
6. -"- -"- 3/4"	10 -"-	40/-	1280.00
7. हुक एण्ड आई 6"	352 नं0	96/-	400.00
			2816.00
			12082.92
		ST	966.68
		कुल राशि	13049.60
		शुद्ध राशि	13050.00 रु0

[illegible] 5 प्रतिशत [illegible]

यह सामान स्वयं: वित्तीय योजना सोडल के अधीन 32 न0 श्रेणी-2 फ्लेटस में उपयोगार्थ लिया गया था तथा जिसका इन्द्राज एम.ए.एस. रजिस्टर पृ0 15 से 18 तक किया गया है । परन्तु एम.ए.एस. रजिस्टर के अवलोकन से पता चलता है कि 8/95 तक पहली आयरन लिग्ज 4" के 606 न0 व सातवी आईटम हुक्स एण्ड आई 6" 352 न0 अभी तक बिना उपयोग किये पडे है । इन दोनों आईटमों को 31.3.94 को खरीदने का औचित्य स्पष्ट किया जाये। कि

21. स्वयं वित्तीय योजना के अन्तर्गत सन्थोली में श्रेणी-2 के 32 फ्लेटों का निर्माण आदि आन्तरिक जल आपूर्ति एवं सेनिटरी इन्स्टालेशन तथा साईट डिवेलपमेंट सहित :-

---

स्वयं वित्तीय योजना के अन्तर्गत सन्थोली में श्रेणी-2 के 32 फ्लेटों के निर्माण हेतु रु0 5,06,930 रुपये की तकनीकी स्वीकृति अधीक्षण अभियन्ता के ज्ञापन सं0 एस.बी.(डी.बी.)एस.एफ.एस.सन्थोली /94 -खण्ड-5, दिनांक 20.7.1994 के द्वारा प्रदान की गई । नियमानुसार इस कार्य को करवाने के लिये निविदायें आमंत्रित की जानी थी । किन्तु इस प्रकरण में अधिशाषी अभियन्ता द्वारा बिना किसी सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति प्राप्त किये यह कार्य छोटे-2 निर्माण कार्यों में विभाजित करके वर्क आर्डरज के आधार पर करवाया गया जैसा कि निम्न तालिका में दिये गये विवरण से भी स्पष्ट होता है ।

क्रम सं0	वाउचर सं0/ वर्क आर्डर न0	दिनांक	कार्य का विवरण	राशि
1.	99/90	23.3.94	श्रेणी-2 के 32 फ्लेटों के निर्माण हेतु	18887.37
2.	97/83	यथोपरि	यथोपरि	11025.37
3.	112/94	28.3.94	यथोपरि	14770.28
4.	114/95	यथोपरि	यथोपरि	16690.18
5.	4/34	1.3.94	यथोपरि	18115.16
6.	21/72	3.3.94	यथोपरि	8184.42
7.	65/92	17.3.94	यथोपरि	12057.92
8.	67/91	यथोपरि	यथोपरि	16384.83
9.	86/89	19.3.94	यथोपरि	16985.80

...

बिल का भुगतान करने से पूर्व उसके 5 प्रतिशत सिक्योरिटी भी कि इस

उपरोक्त निर्माण कार्यों को बिना निविदायें आमंन्त्रित किये वर्क आर्डर के आधार पर करवाने का औचित्य लेखा परीक्षण को स्पष्ट किया जाये तथा इसके अतिरिक्त यह भी सूचित किया जाये कि इस कार्य को छोटे-2 कार्यों में विभाजित करके वर्क आर्डरज के आधार पर करवाने हेतु सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति क्योंकर प्राप्त नहीं की गई।

22. वा0सं0 67, दिनांक 17.3.94 मु0 16,384.83 (वर्क आर्डर सं0 91 व माप पुस्तिका सं0 851 :-

वर्ष 1993-94 के वर्क आर्डर सं0 91 को जांच करने पर पाया कि इससे सम्बन्धित दरों के विश्लेषण को अधिशासी अभियन्ता से अनुमोदित नहीं करवाया गया, । अत: इस विश्लेषण विवरणिका को अनुमोदित करवाकर के अनुपालना आगामी अंकेक्षण में दर्शाई जाये ।

23. वा0सं0 4 दिनांक 1.3.94 मु0 13115.15 रू0 (वर्क आर्डर सं0 84 व माप पुस्तिका सं0 852/92)

वर्ष 1993-94 के वर्क आर्डर सं0 84 को जांच पड़ताल करने पर पाया गया कि इससे सम्बन्धित अमत विवरणिका को अधिशासी अभियन्ता द्वारा अनुमोदित नहीं किया गया है जिसे अब अनुमोदित करवाकर के अनुपालना आगामी अंकेक्षण में दर्शाई जाये ।

24. वा0सं0 79 दिनांक 18.3.94

श्री शौजूराम, ठेकेदार को उपरोक्त वाउचर द्वारा वर्ष 1993-94 के वर्क आर्डर सं0 85 के प्रथम व अन्तिम बिल का भुगतान निम्न विवरणानुसार किया गया ।

1. नकद	मु0 276/-रू0
2. चैक सं0 585723 दि. 18.3.94 द्वारा	4125/-
कुल	4401/- रुपये

इस वर्क आर्डर से सम्बन्धित माप पुस्तिका व बिल के अवलोकन से विदित होता/हुआ हुआ है कि कुल कार्य का कुल मूल्य 7301.30 रुपये है तथा इस प्रकरण में यह पाया गया कि ठेकेदार को प्रथम व अन्तिम बिल का भुगतान करने से पूर्व उससे 5 प्रतिशत सिक्योरिटी जो कि इस

प्रकरण में रु0 393 रुपये [रु0 7,861.30 रुपये का 5 प्रतिशत] बनती है, नहीं काटी गई जबकि वर्क आर्डरस की शर्त सं0 3 के अनुसार 5 प्रतिशत सिक्योरिटी काटना आवश्यक था। वर्क आर्डर की शर्त की अवहेलना करते हुये बिना सिक्योरिटी काटे ही ठेकेदार को भुगतान किये जाने के औचित्य से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये तथा भविष्य में किसी भी प्रकरण में संविदाकार से सिक्योरिटी काटे बिना भुगतान न किया जाना सुनिश्चित किया जाए। ~~गया।~~

25. वा0सं0 64 दिनांक 19.4.93

उक्त वाउचर द्वारा श्री शंकर दास, संविदाकार को वर्ष 93-94 के एग्रीमेंट सं0 2 के प्रथम चलत बिल का भुगतान निम्नानुसार किया गया है :-

1.	नकद	7,235 रुपये
2.	चैक सं0 929804 दि. 19.4.93 द्वारा	58,289 रु
	कुल	65,524 रुपये

इस भुगतान से सम्बन्धित माप पुस्तिका सं0 837/92 के पृ0 68 से 70 तथा बिल के अवलोकन से विदित होता है कि एग्रीमेंट मद सं0 6 जो कि प्रोवाईडिंग फार प्लेन स्क्वेयर एण्ड कवर फिलेट्स बारे है, का निष्पादन प्रथम चलत बिल तक ही 358.55 रनिंग मीटर हो चुका था जबकि शडयूल आफ क्वांटिटी के अनुसार पूरे निर्माण कार्य में इस मद का निष्पादन मात्र 255 रनिंग मीटर ही होना था। अत: शडयूल आफ क्वांटिटी से प्रथम चलत बिल में ही इस मद के 103.55 रनिंग मीटर अधिक निष्पादन के औचित्य से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये।

26. निविदाओं से सम्बन्धित विहित प्रक्रिया न अपनाया जाना

क) निम्नलिखित प्रकरणों में सहायक अभियन्ता-। द्वारा वर्क आर्डरज के लिये निविदायें आमन्त्रित की गई थी किन्तु अंकेक्षण के समय पाया गया कि इन निविदाओं से सम्बन्धित लिफाफे अभिलेख में उपलब्ध नहीं थे।

क्र.सं.	वर्क आर्डर सं0 का विवरण	संलिप्त व्यय	संलिप्त व्यय के भुगतान सम्बन्धी वा0 का विवरण
1.	वर्ष 92-93 का वर्क आर्डर सं0 59	12,293.00 रु0	वा0सं0 40 माह 4/93
2.	वर्ष 93-94 का वर्क आर्डर सं0 29	3,750.00 रु0	वा0सं0 101 माह 3/94
3.	वर्ष 93-94 का वर्क आर्डर सं0 80	5,256.00 रु	वा0सं0 43 माह 3/94

लिफाफों के अभिलेख में उपलब्ध न होने से ऐसा प्रतीत होता है कि ये निविदायें बन्द लिफाफों में प्राप्त ही नहीं हुई जबकि एत सम्बन्धी प्रक्रियानुसार निविदायें मोहर बन्द लिफाफों में प्राप्त होना तथा उन लिफाफों जिनमें निविदायें प्राप्त हुई हों, को अभिलेख में रखना आपेक्षित है । अत: इन प्रकरणों में निविदायें बन्द लिफाफों में प्राप्त न होने तथा यदि निविदायें बन्द लिफाफों में प्राप्त हुई है तो उन लिफाफों को अभिलेख में न रखने के कारणों से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये ।

ख) निम्नलिखित कार्यो से सम्बन्धित निविदायें एत सम्बन्धी विहित प्रक्रिया के अनुसार नहीं मंगवाई गई अपितु श्री बी.एस.चौहान, कनिष्ठ अभियन्ता के माध्यम से व्यक्तिगत रूप से एकत्रित की गई जैसा कि इन कार्यों से सम्बन्धित प्राप्त निविदाओं पर उक्त कर्मचारी द्वारा अंकित अभियुक्तियों से स्पष्ट हो जाता है :-

क्र.सं.	कार्य का विवरण	उस व्यक्ति/फर्म का विवरण जिसके माध्यम से कार्य करवाया गया	कार्य में संलिप्त राशि ।	भुगतान से सम्बन्धित वा0 का विवरण
1.	अधिशासी अभियन्ता योजना प्रारूप एवं विद्युत के कार्यालय में लकड़ी के रेक लगाना ।	मै0-पुत पोमान वुड वर्कस, विलिंगम हाउस, शिमला-1	1,150/-	वा0सं0133 दि.31.3.94
2.	लकड़ी की चिराई	मै0-पुत सी.आर आरा मिल्स, शिमला-12.	1,040/-	वा0सं052 दि.17.4.93

इन निविदाओं को विहित प्रक्रिया न अपनाकर व्यक्ति रूप से बिना बन्द लिफाफों के एकत्रित करने के औचित्य से भी अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये ।

27. प्रा०सं० 121 दिनांक 31.3.94

इस प्रा० द्वारा श्री प्रेम सिंह, ठेकेदार को मु० 1,25,463/- रूपये का भुगतान चैक सं० 158248 दिनांक 31.3.94 तथा नकद भुगतान मु० 18,233/- रूपये (कुल योग मु० 1,43,696 रूपये) वर्ष 1989-90 के एग्रीमेंट सं० 18 के छठे चलित बिल के रूप में किया गया। इस के चलित बिल के सन्दर्भ में अंकेक्षण आपत्तियाँ निम्नानुसार है :-

क) मदों का अधिक निष्पादन :-

छठे चलित बिल से सम्बन्धित माप पुस्तिका सं० 785/90 के पृ० 91 से 100 तक के अवलोकन से विदित होता है कि पंचम चलित बिल तक ही निम्नलिखित मदों का निष्पादन शडयूल आफ क्वांटिटी से बहुत अधिक हो चुका था ।

कृ.सं.4/मित्रसंघ

लगातार पृष्ठ..31

183

क्रम सं.	विवरण	मद सं0	शडयूल आफ क्वांटिटी के अनुसार पूर्ण कार्य हेतु निर्धारित प्रमात्रा ।	छटे वांछित बिल छटे वांछित बिल तक निष्पादित में प्रदत्त दर प्रमात्रा ।		एग्रीमेंट के अनुसार निर्धारित दर ।
1.	अर्थ वर्क इन आल काईंड आफ सायल	1	286.65 घन मीटर	1684.01 घन मीटर	35/-रु0 प्रति घन मीटर	35 रु0 प्रति घन मीटर
2.	फोर्म वर्क इन बोक्स कांटमेंसोवर्क	3(एक)	328.79 घन मीटर	394.27 घन मीटर	35/-रु0 प्रति घन मीटर	35रु0 प्रति घन मीटर
3.	प्रोवाईडिंग एण्ड कोर्ट आफ हॉट बिटुमेन	6	8.58 वर्गमीटर	136.81 वर्गमीटर	5/-रुपये प्रति वर्ग मीटर	5/-रुपये प्रति घन मीटर प्रति वर्ग मीटर ।
4.	स्क्वेयर्ड रब्बल मेसनरी विद हार्ड स्टोन इन फाउंडेशन ।	11/12	30.56 घन मीटर	79.86 घन मीटर	600 रु. प्रति घन मीटर	600/-रु0 प्रति घन मीटर ।
5.	स्क्वेयर्ड रब्बल मेसनरी विद हार्ड स्टोन इन सुपर स्ट्रक्चर ।	12/13	30.82 घनमीटर	54.78 घन मीटर	700/- रुपये प्रति घन मीटर	700/- रुपये प्रति घनमीटर
6.	वुड वर्क इन फ्रेमस आफ डोर्स विन्डोज	14/15	4.206 घनमीटर ।	5.132 घन मीटर	15000/- रुपये प्रति घन मीटर	15000/- रुपये प्रति घन मीटर

...

उपरोक्त विचलन के सन्दर्भ में आगामी अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये ।

ख) षष्टम चलत बिल से सम्बन्धित अभिलेखों के अवलोकन से यह भी पाया गया कि संविदाकार को इस चलत बिल तक बोर्ड द्वारा सीमेंट की 1625 बोरियाँ जारी की गई थी किन्तु छटे चलत बिल में व इस बिल से पूर्व पाँचों चलत बिलों का भुगतान करने से पूर्व न तो संविदाकार से सीमेंट की खाली बोरियों को बैग कोलैक्टिंग एजेन्ट को सौंपे जाने सम्बन्धी रसीद एग्रीमैंट की शर्त संख्या 42(2) के अनुसार प्राप्त की गई और न ही एग्रीमैंट की इस शर्त के अनुसार उनसे कोई वसूली किसी भी चलत बिल का भुगतान करने से पूर्व की गई । अतः स्थिति पूर्ण विवरण सहित स्पष्ट हो।

28. वा.सं. 186 दिनांक 31.3.1994

श्री सतीश गोयल, संविदाकार को इस वाउचर द्वारा एग्रीमैंट न0 9, जो कि सन्जौली में स्वर्ण विहार योजना के अन्तर्गत श्रेणी-2 के फ्लैटों (आन्तरिक जल आपूर्ति फिटिंग एवं सैनिटेशन फिटिंग सहित) के निर्माण सम्बन्धी 12वें चलत बिल के रूप में निम्नानुसार किया गया ।

नकद — रु0 3,769 रुपये

2. चैक सं. 785741
दि. 31.3.94 — 1,42,081/-रुपये

कुल योग — 1,45,850/- रुपये

इस चलित बिल के सन्दर्भ में अंकेक्षण ~~आपत्ति~~ आपत्तियाँ निम्नानुसार है :-

~~इस चलित बिल के सन्दर्भ में~~

क) मदों का अधिक निष्पादन :-

बारहवें चलित बिल से सम्बन्धित माप पुस्तिका सं0 879/94 के पृष्ठ 1 से 36 के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि निम्नलिखित मदों का निष्पादन बारहवें चलित बिल तक ही शड्यूल आफ क्वांटिटी से बहुत अधिक हो चुका है:-

क्रम सं0	विवरण	मद सं0	शेड्यूल आफ क्वांटिटी के अनुसार पूर्ण कार्य हेतु निर्धारित प्रमात्रा ।	12वें चलित बिल तक निष्पादित प्रमात्रा	12वें चलित बिल में प्रदत्त दर ।	एग्रीमेंट के अनुसार निर्धारित दर।
1•	रिगार्डिंग अर्थ वर्क एण्ड इटस डिस्पोजल	1	2826•56 घन मी•	3239•37 घन मी•	40/-रू0 प्रति घन मीटर	40/-रू0 प्रति घन मीटर ।
2•	फार्म वर्क आफ ओर्डीनरी टिम्बर इन फ्लैट सरफेसिज §	3§सी§	1672•68 वर्ग मी•	3653•77 वर्ग मी•	43/-रू•प्रति वर्ग मी•	43/-रू0 प्रति वर्ग मी•
3•	स्टेयर केसेज एक्सेप्ट स्पायरल स्टेयर केस	3§डी§	10•44 घन मी•	17•24 घन मी•	1150/रू0 प्रति घन मी•	1150/रू•प्रति घन मी•
4•	डेम्प प्रूफ कोर्स 38 एम•एम थिक विद सीमेंट कंक्रीट §	8/5	5•93 वर्ग मी•	28•84 वर्ग मी•	43/-रू• प्रति वर्ग मी•	43/-रू0 प्रति वर्ग मीटर
5•	प्लेन एस्बेस्टोज सीमेंट शीट सीलिंग	18/17	457•40 "	569•52 "	88/-रू "	88/-रू "
6•	कोरूगेटिड जी•आई•शीट रूफिंग	26/32	729•24 "	848•30 "	169/-रू "	169/- "
7•	स्टील वर्क वैल्डिंग इन सैक्सन्ज इन बीम्ज, जौएस्ट चैन्लज़ ।	34/40§ए§	140•64 क्विंटल	201•627 क्विंटल	1890/-रूपये प्रति क्विंटल	1890/-रू0 प्रति क्विंटल
8•	अप्लाईंग टू कोटस आॅफ वुड प्रिजर्वेटिव आैन न्यू वुड ।	37/46	80•00 वर्ग मी•	257•60 वर्ग मी•	7/-रू0 प्रति वर्ग मी•	7/-रू0 प्रति वर्ग मी•
9•	15 एम•एम• सीमेंट प्लास्टर इन सिंगल कोर्ट फार इन्टीरियर प्लास टरिंग §	40/50	3281•88 "	6669•98 "	27/-रू0 "	27/-रू0 "

...

उपरोक्त विचलन के सन्दर्भ में अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये ।

ख) बारहवें चलित बिल तक संविदाकार को सीमेंट की 7620 बोरियाँ जारी की गई थी । एग्रीमेंट की शर्त 42(2) के अनुसार संविदाकार द्वारा प्रत्येक चलित बिल का दावा प्रस्तुत करते समय प्रयुक्त सीमेंट की बोरियों में से कम से कम 90% खाली बोरियों की रसीद बैग कोलेक्टिंग एजेन्ट से प्राप्त करके बोर्ड को प्रस्तुत की जानी थी । अन्यथा जारी की गई सीमेंट की बोरियों में से 90 प्रतिशत खाली बोरियों की वसूली संविदाकार से मु0 1/-रूपये प्रति बोरी के हिसाब से प्रत्येक चलत बिल का भुगतान करने से पूर्व ही की जानी अपेक्षित थी । किन्तु वर्तमान प्रकरण में न तो संविदाकार द्वारा किसी भी चलत बिल का दावा प्रस्तुत करते समय बैग कोलेक्टिंग एजेन्ट से प्राप्त खाली बोरियों की रसीद बोर्ड को प्रस्तुत की गई है और न ही संविदाकार को चलत बिलों का भुगतान करते समय एग्रीमेंट की उपरोक्त शर्त के अनुसार कटौती की गई । अत: इस सन्दर्भ में अब उपयुक्त कार्यवाही करके आगामी अंकेक्षण को सूचित किया जाये ।

ग) इस एग्रीमेंट के पाँचवे चलत बिल से सम्बन्धित माप पुस्तिका सं0 816/91 के पृष्ठ 48 के अवलोकन से ज्ञात होता है कि मद सं0 5/7(सी) जो कि कॉलम, पिल्लर पोस्टस एण्ड स्टर्टस ~~फ्लोर बारे है~~ अप टू ऑल हाइटस इन सस्पेंडिड फ्लोर बारे है, की रिकार्ड प्रविष्टियों का योग 104.30 घन मीटर बनता है जबकि चलत बिल का भुगतान करते समय इसका योग 104.33 घनमीटर लिया गया है । इस प्रकार संविदाकार को मु0 1150/-रूपये प्रति घनमीटर की दर से 0.03 घन मी का 34.50 रूपये का अधिक भुगतान हुआ है जिसकी वसूली करके अनुपालन अनुवर्ती अंकेक्षण को दर्शाई जाये ।

29. वा0सं0 143 माह 3/94:-

इस वा0 द्वारा श्री अशोक शर्मा, संविदाकार को मु0 21,934 रूपये का भुगतान वर्ष 1990-91 के एग्रीमेंट सं0 3 के 19वें चलत बिल के भुगतान के रूप में किया गया । इस एग्रीमेंट के प्रथम चलत बिल उन्नीसवें चलत बिल के सन्दर्भ में अंकेक्षण आपत्तियाँ निम्नानुसार है ।

क) **मदों का अधिक निष्पादन :-**

उन्नीसवें चलत बिल से सम्बन्धित माप पुस्तिका संख्या 730/88 व 369/90 के अवलोकन से विदित होता है कि अभी तक कार्य पूर्ण नहीं हुआ तथा प्रगति पर है व उन्नीसवें चलित बिल तक ही निम्नलिखित मदों का निष्पादन शड्यूल ऑफ क्वांटिटी से बहुत अधिक हो चुका है :-

क्र.सं.	विवरण	मद संख्या	शड्यूल ऑफ क्वांटिटी के अनुसार पूर्ण कार्य हेतु निर्धारित प्रमात्रा ।	उन्नीसवें चलत बिल तक निष्पादित प्रमात्रा ।	उन्नीसवें चलित बिल में प्रदत्त दर	एग्रीमेंट के अनुसार निर्धारितदर
1.	कटिंग इन अर्थ वर्क एण्ड डिस्पोजल आफ एग्जावेटेड	1/1 इन्सटी- च्यूट	587.40 घन मी.	8093.17 घन मी.	32.50रू प्रति घन मी.	32.50/-रू0 प्रति घन मी
2.	एग्जावेशन इन फाउंडेशन ट्रैंचेज इन आल काइंड ऑफ सोइल ।	1/1 हास्टल	2514.62 "	10004.64	32.50 "	32.50 "
		2/2 इन्सटीच्यूट	250.12 "	390.103	30.00 "	30.00 "
		2/2 हास्टल	585.86 "	718.039	यथोपरि	यथोपरि
3.	सीमेंट कन्क्रीट 1:2:4 इन कन्टीलीवर्ज ।	7/8 इन्सटी- च्यूट ।	54.80 "	87.391	990.00 "	1000/- "
4.	रैन्डम रूबल/पोलिगनल रूबल मैसनरी इन फाउंडेशन ।	12/16 "	113.40 "	160.72	425.00 "	425/- रू0 प्रति घन मी
		यथोपरि हास्टल	72. "	348.72 "	यथोपरि	

अतः 19वें चलत बिल तक ही शड्यूल आफ क्वांटिटी से इतने अधिक निष्पादित हुये उपरोक्त कार्य के औचित्य से ऑडिट को अवगत करवाया जाये ।

ख) 19वें चलत बिल तक संविदाकार को 6230 बोरी सीमेंट जारी की गई थी तथा एग्रीमेंट की शर्त सं0 42(2) के अनुसार संविदाकार को प्रत्येक चलत बिल का दावाप्रस्तुत करते समय बैग कोलैक्टिंग एजेन्ट से प्रयुक्त की गई सीमेंट की बोरियों में से कम से कम 90 प्रतिशत खाली बोरियों की रसीद प्राप्त करके बोर्ड को प्रस्तुत की जानी थी अन्यथा जारी की गई बोरियों में से कम से कम 90 प्रतिशत बोरियों की वसूली संविदाकार से रु0 1 रू0 प्रति बोरी के हिसाब से की जानी थी । किन्तु वर्तमान प्रकरण में 19वें चलित बिल तक

किसी भी बिल का भुगतान करते हुये न तो संविदाकार से एग्रीमेंट की इस शर्त के अनुसार रसीद प्राप्त की गई और न ही खाली बोरियों की रसीद प्रस्तुत करने के कारण उनसे नियमानुसार वसूली की गई जिसके कारणों से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये व उपरोक्त शर्तानुसार वसूली किया जाना सुनिश्चित किया जाये ।

ग॰ यह एग्रीमेंट 9•7•90 से प्रारम्भ हुआ तथा एग्रीमेंट की शर्त के अनुसार कार्य 7•1•1992 से पूर्व ही पूर्ण हो जाना चाहिये था । किन्तु अंकेक्षण के समय ज्ञात हुआ कि यह कार्य मार्च, 1994 तक भी पूर्ण नहीं हुआ था । तथा इस प्रकरण में इस कार्य को बढे हुये समय में करवाने की सक्षम प्राधिकारी से प्राप्त स्वीकृति भी अंकेक्षण को नहीं दर्शाई गई जिसे आगामी अंकेक्षण के समय दर्शाया जाये ।

30• दर संविदा पर स्थानीय फर्म की उपेक्षा करके मुरम्मत का कार्य निजि फर्म से करवाया जाना :-

वा०सं० 24 दिनांक 7•4•1993 द्वारा श्रीयुत सर्विस सैन्टर, सिल्वी बैंक, दि माल शिमला को मु० 652 रुपये का भुगतान उनके निम्नलिखित बिलों के एवज में टाईप मशीनों की मुरम्मत हेतु किया गया :-

क्र॰सं॰	फर्म के बिल का विवरण	संलिप्त राशि
1•	बिल सं0 2220 दिनांक 18•12•1992	मु• 460/- रुपये
2•	बिल सं0 2221 दिनांक 22•12•92	मु• 98/- "
3•	बिल सं0 2228 दिनांक 23•1•93	94/-रु0
	कुल योग	552/- रु0

उपरोक्त फर्म हि०प्र० सरकार की दर संविदा पर नहीं है । ऐसी अवस्था में दर संविदा पर स्थानीय फर्म की उपेक्षा करके मुरम्मत का कार्य ऐसी निजि फर्म जो कि दर संविदा पर नहीं है, से करवाने के औचित्य से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये ।

...

31• अस्वीकार्य औषधियों की प्रतिपूर्ति :-

वा०सं० 83 दिनांक 21•4•93 से सम्बन्धित अभिलेख की जांच से पाया गया कि निम्नलिखित कर्मचारियों को निम्न विवरणानुसार अस्वीकार्य औषधियों की प्रतिपूर्ति का भुगतान किया गया था ।

क्र•सं•	कर्मचारी का नाम व पदनाम	अस्वीकार्य औषधी का नाम	अस्वीकार्य औषधी की कीमत ।
1•	श्रीमती शिव देवी, कनिष्ठ सहायिका ।	सैपटिलिन	मु• 23•65 रुपये
2•	श्रीमस्त राम, कनिष्ठ सहायिका	कार्बोलि कैपसूल	मु० 10•80 रुपये
3•	श्री जी•के•शर्मा, कनिष्ठ अभियन्ता ।	यथोपरि	21•60 रुपये
		कुल योग :-	56•05 रुपये

इस सन्दर्भ में अंकेक्षण के कहने से उपरोक्त वसूलियां रसीद सं० 1815 दिनांक 14•8•1995 द्वारा की गई ।

32• बैंक समाधान विवरण :-

हि०प्र० आवास बोर्ड शिमला मण्डल के वर्ष 1993-94 के लिये दिनांक 31•3•94 कि स्थिति में विभिन्न बैंकों के समाधान उपरान्त निम्नलिखित आपत्तियां एवं अनियमिततायें पाई गई जिनकी अनुपालना आगामी लेखा परीक्षण में दिखाई गई है:-

(क) इण्डियन बैंक मशोबरा

इण्डियन बैंक मशोबरा में मण्डल के खाते में जमा राशि पर बैंक ने दिनांक 3•2•93 को राशि 238•00 रुपये ब्याज के रुप में दिये परन्तु 31•3•94 तक भी इस राशि का मण्डल के लेखों में ब्याज आय के रुप में लेखाकरण नहीं किया गया जो कि अनियमित ही नहीं अपितु वित्तीय वर्ष की अन्तिम स्थिति भी लेखों में सही नहीं दर्शाती जो 238/-रुपये की आय,लाभ,हानि खाते में आय दिखाई जानी थी । इस प्रकार मण्डल के अन्तिम लेखों की स्थिति ठीक नहीं है ।

ख) यूनाईटिड कमर्शियल बैंक निगम विहार,शिमला:-

1) मण्डल कार्यालय में पिछले वर्षों में जारी किये गये

— 191 —

38 — 190 —

यूनाईटिड कमर्शियल, बैंक निगम बिहार के खाते में निम्नलिखित चैक भुनाये नहीं गये थे परन्तु यह चैक अभी तक भी बैंक समाधान विवरण में शेष दिखायें जा रहे । इन चैकों का तुरन्त लेखाकरण किया जाये क्योंकि 6 महीने के उपरान्त चैक कालातीत हो जाते है

चैक न0 013943 दिनांक 2•5•91 , 596•00 रूपये

चैक न0 005703 दिनांक 22•2•92, 200•00 रूपये

2) बैंक समाधान विवरण की जांच करने पर पाया गया कि चैक नम्बर 698029 दिनांक 19•7•78 को जारी करते समय राशि 100 रूपये की अधिक अदायगी की गई जिसका अभी तक भी बैंक समाधान विवरण में बैंक द्वारा अधिक डेबिट दिखाया जा रहा है जो कि गलत है । इस राशि को तुरन्त उपयुक्त स्त्रोत से वसूल करके अनुपालना आगामी लेखा परीक्षा में दिखाई जाये ।

3) बैंक समाधान विवरण की जांच करने पर पाया गया कि निम्नलिखित चैक/बैंक ड्राफट पिछले वर्षों में बैंक खाते में जमा किये गये परन्तु बैंक ने इन राशियों का अभी तक भी क्रेडिट नहीं किया है । तथा बैंक समाधान विवरण में शेष दिखाये जा रहे है । इन राशियों का अविलम्ब लेखाकरण किया जाये ।

चैक न0 595036 दिनांक 30•7•86 = 3842•55 रू0

चैक न0 406004 दिनांक 22•2•89 = 3040•29 रू0

4) निम्नलिखित राशियां पिछले वर्षों में बैंक खाते में अधिक जमा की गई दिखाई गई है परन्तु इन राशियों का मण्डल लेखों में लेखाकरण अभी तक भी नहीं किया गया है जिनका अविलम्ब लेखाकरण किया जाये ।

दिनांक 11•11•89 700•00 रू0

एन एस सी राशि की दो बार प्रविष्टियां 1548•00 रूपये

ग) सैन्ट्रल बैंक आफ इण्डिया शिमला:-

1) उपरोक्त बैंक खाते में पिछले वर्षों में जारी किये गये चैक न0 20065 दिनांक 31.10.91 राशि 3200 रूपये भुनाया नहीं गया । परन्तु यह चैक अभी तक भी बैंक समाधान विवरण में शेष दिखाया जा रहा है । इस चैक का तुरन्त लेखाकरण किया जाये क्योंकि 6 महीने के उपरान्त चैक कालातीत हो जाते हैं ।

2) निम्नलिखित राशि उपरोक्त बैंक खाते में बैंक ने अधिक डेबिट की गई दिखाई गई है जो बैंक समाधान विवरण में बैंक ने अधिक डेबिट राशि के रूप में दिखाई जा रही है जो कि गलत है । इन राशियों का अभिलम्ब लेखाकरण करके अनुपालना लेखा परीक्षा को दिखाई जाये ।

2/92 में एक चैक 1583/-का जारी किया गया परन्तु डेबिट 1726 रू0 किया गया	अन्तर 143.00
चैक न0 129 दिनांक 14.11.92 किसी दूसरी पार्टी का डेबिट किया गया ।	1350.00

घ) पंजाब एण्ड सिन्ध बैंक शिमला:-

उपरोक्त बैंक की बैंक समाधान विवरणिका जांचने पर पाया गया कि 6/93 में मण्डल के बैंक खाते में राशि 2610 रूपये का गलत डेबिट किया गया तथा राशि 2585/- रूपये का अधिक क्रेडिट किया गया परन्तु इन राशियों को बैंक समाधान विवरण में शेष दिखाया जा रहा है जो कि गलत है । इन राशियों की तुरन्त जांच पड़ताल करके लेखों में लेखाकरण किया जाये तथा अनुपालना आगामी लेखा परीक्षा में दिखाई जाये ।

33. पानी प्रभार सोलन उपमण्डल

क) मु0 27212/- रूपये की राशि का आबंटियों द्वारा भुगतान न करना ।

सोलन उपमण्डल के खाता वही के अवलोकन से पाया गया कि निम्नलिखित आबंटियों द्वारा उनके सामने वर्णित पानी के

...

के बिलों की अदायगी 31.3.94 तक नहीं दी गई और न ही सम्बन्धित उपमण्डल द्वारा और कोई समुचित कदम ही उठाये गये है । अतः इन आबंटियों से बकाया राशियों की वसूली शीघ्र अतिशीघ्र की जावे तथा अनुवर्तन आगामी पड़ताल के समय दिखाई जाये :-

क्र.सं.	आबंटी का नाम	मकान न0		खाता न0	राशि
1.	श्री के.के.गुप्ता	एम.आई.जी.-	13	डी-138	230.00
2.	श्री राम सिंह ठाकुर	"	21	डी-135	475.00
3.	श्रीमती सुनीता शर्मा	"	23	डी- 63	491.00
4.	श्री आर.एल. वर्मा	"	25	डी- 72	1641.00
5.	श्री शिव दयाल सहगल	"	26	डी-66	856.00
6.	श्री नन्द कुमार साहनी	"	27	डी-54	1044.00
7.	श्री बी.के.सहगल	"	28	डी-53	484.00
8.	श्री बी.एन.मल्होत्रा	"	32	डी-61	499.00
9.	श्री टी.महता	"	33	डी-60	411.00
10.	श्री एस.के.सहगल	"	34	डी-139	760.0C
11.	सुश्री मुकरन्द कौर	"	40	डी-28	316.0C
12.	श्री जगदीश राय बंसल	एल.आई.जी.	42	डी-26	972.0(
13.	श्रीमती बिमला वर्मा	"	47	डी-109	778.0
14.	श्री जे.एम. सिंह	एम.आई.जी.-	54	डी-51	59.0
15.	श्री सुरेन्द्र कुमार	एम.आई.जी	56	डी-73	1044.0
16.	श्री आयुक्त कराधान सोलन	"	58	डी-77	1122.(
17.	श्रीमति लीला देवी	एल.आई.जी.	65	डी- 4	12.(
18.	श्री पी.एस.बाजवा	एम.आई.जी.	68	डी 78	501.(
19.	श्री हरमिन्दर सिंह	"	57	डी-71	972.
20.	श्री एस.एन.दुआ	एम.आई जी.	73	डी-68	972.
21.	श्री आर.एम. सेवाल	"	74	डी-57	810.
22.	श्री हरि किशोर कक्ड	"	75	डी 64	93.
23.	श्री विजय कुमार	"	78	डी-108	806.

...

	एम•आई•जी•	84	डी–74	1037•00
24• श्री क्रादर सिंह	•	88	डी	495•00
25• श्री सुधीर अबरोल	ई•डब्ल्यु•एस	92	डी	143•00
26• श्री जगदीश चन्द्र शर्मा	एल•आई•जी•	101	डी–10	572•00
27• श्री शमशेर जंग बहादुर	•	100	डी–13	972•00
28• श्री जे•आर•शर्मा	ई•डब्ल्यु•एस•	94	–	39•00
29• श्रीमती पुर्णी देवी	एल•आई•जी•	104	डी–34	284•00
30• श्री सुरेन्द्र पाल	•	105	डी–9	140•00
31• श्री एस•पी•साहनी	•	113	डी–115	155•00
32• श्री एम•पी•गुप्ता	•	121	डी–15	1357•00
33• श्री एस•पी•सिंह	•	122	डी–16	261•00
34• श्री हरनाम सिंह	•	131	डी–36	50•00
35• श्रीमती सावित्री वसुदेवा	•	132	डी–27	106•00
36• श्री एस•एन• खन्ना	•	134	डी–12	972•00
37• श्री सुभाष ~~खन्ना~~ गुप्ता	•	136	डी– 22	294•00
38• श्री एस•के•मारवाहा	•	140	डी–41	1354•00
39• श्रीमती निर्मल जैन	•	142	डी–47	613•00
40• श्री सतवन्त पुरी	ए– 1		डी –98	2294•00
41• श्री सुदर्शन सिंह	ए–3		डी– 96	391•00
42• श्री एस•के•नवाल	प्राईवेट		डी–147	282•00
43• श्री एन•एल•शर्मा	एल•आई•जी•	143	डी –3	53•00
44• श्री पीटर जान्सन				
				17212•00

ख) उपमण्डल सोलन में पानी के मांग एवं प्राप्ति रजिस्टर की जांच करने पर पाया कि आबंटियों को जारी किये गये बिलों की शर्त सं0 5 के अनुसार बिल की अदायगी निर्धारित समय पर न करने के कारण बिना सूचना दिये आबंटी की जल आपूर्ति बन्द की जानी थी जबकि कार्यालय द्वारा इस शर्त के अनुसार कार्यवाही न करने के कारण आबंटियों से री–कनेक्शन शुल्क की वसूली नहीं हो सकी जिस का विवरण निम्न प्रकार है :-

... ...

क्र॰सं॰	खाता सं0 व नाम	राशि	राशि जमा करने की तिथि	वसूली की तिथि	अवधि जिसके लिये बिल जारी किया गया ।
1॰	श्री हरिश्चन्द्र, डी–44	208	9॰6॰93	30॰9॰93	3/93 से 4/93
2॰	श्रीमती उमा बंसल डी–38	228	यथोपरि	20॰8॰93	यथोपरि
3॰	श्रीमती सरला गुप्ता डी–137	137	यथोपरि	17॰8॰93	यथोपरि
4॰	श्री शशिकान्त गुप्ता –142	142	यथोपरि	20॰8॰93	यथोपरि
5॰	सुश्री मकरन्द कौड डी–28	206	यथोपरि	॰	यथोपरि
6॰	श्री एस॰पी॰ गुप्ता–डी–59	311	यथोपरि	17॰8॰93	यथोपरि
7॰	श्री सुरज प्रकाश शर्मा–डी–42	279	28॰6॰93	20॰8॰93	5/93 से 6/93
8॰	श्रीमती कृष्णा देवी, डी–21	100	यथोपरि	यथोपरि	3/93 से 4/93
9॰	श्री हरिन्दर सिंह, डी–20	310	यथोपरि	18॰8॰93	यथोपरि
10॰	श्री अशोक कुमार, डी–23	368	यथोपरि	16॰8॰93	यथोपरि

अत: अब शीघ्र इन उपभोक्ताओं से निर्धारित शुल्क ﴾री–कुनेक्शन शुल्क﴿ वसूल करके अनुवर्तन आगामी पड़ताल के समय दिखाई जावे ।

34॰ **राजस्व आय:–**

निगम बिहार भवन के साथ 5 भण्डार कमरों ﴾स्टोर﴿ की रु0 68870/– रूपये की राशि की वसूली न करना

लेखा परीक्षण में पाया गया कि हिमाचल प्रदेश आवास बोर्ड, निगम बिहार भवन के साथ 5 भण्डार प्रकोष्ठ है जो निम्न लिखित विभागों/संस्थाओं को किराये पर दिये है । इनका किराया पत्र सं0 एच॰बी॰डी॰सी॰ ﴾दफ्तर भवन﴿ /83–खण्ड–5 दिनांक 2॰8॰86 के द्वारा अधीक्षण अभियन्ता ने निर्धारित किया है ।

...

कमरों का क्रमांक	विभाग का नाम	कब्जा लेने की तिथि	किराया जो निर्धारित किया गया ।
1•	आर•आई•डी,विभाग शिमला ।	1•4•82	400 रू0 प्रतिमास
2•	एच•पी•एस•सी•	9•3•82	398 रू0 प्रतिमास
3§1§	यूको बैंक निगम बिहार	1•3•82 से 31•10•85	398 रू0 "
§2§	इन्सटीच्यूट आफ इंजीनियरस, शिमला	1•11•85 से 25-12-89	398 रू• "
4 और 5	आवास बोर्ड के पास	1•1•80	398 रू• "

जांच पड़ताल उपरान्त पाया गया कि इन किराये पर दिये गये कमरों के सम्बन्ध में सम्पत्ति रजिस्टर अभी तक नहीं दिखाया गया जिससे यह सुनिश्चित किया जा सके कि आवास बोर्ड ने कुल कितने कमरे किराये पर तथा किसको दे रखे है ।

उपरलिखित विभागों एवं संस्थाओं से कुल किराया 31•3•94 तक वसूल करना था और जो वसूल हो गया है का विवरण निम्न प्रकार से है :-

कमरों की क्रमांक	विभाग का नाम	किराये पर देने की तिथि	समय अवधि	किराया प्रतिमास	कुल देय	राशि जो प्राप्त राशि नहीं हुई
1	आर•डी•विभाग	1•4•82	1•4•82 से 31•3•94 §144 मास§	400	57600	3200
2•	एच•पी•एस•सी	9•3•82	1•3•82 से से 31•3•94 §145 मास §	398	57710	28258
3§1§	यूको बैंक निगम बिहार	1•3•82	1•3•82 से 31•10•85 §44 मास§	398	17512	~~19900~~ 17512
§2§	इन्सटीट्यूट आफ इंजीनियरस	11/85	1•11•85 से 25•12•89 §50 मास§	398	19900	19900
					152722	68870

किराया रजिस्टर के मुताबिक मु0 152722/- रूपये में से केवल

83852 रूपये विभिन्न विभागो/संस्थाओं से 31•3•94 तक प्राप्त हो गये है । मु0 83852/-रूपये की पुष्टि अंकेक्षण के दौरान नहीं हो सकी क्योंकि निर्माण मण्डल द्वारा बार-2 आपेक्षित अभिलेख मांगने पर भी नहीं दिखाये गये । शेष 68870 रूपये किराये की वसूली हेतु शिमला मण्डल द्वारा अभी तक कोई भी ठोस कार्यवाही नहीं की है । अत: यह मामला आवास बोर्ड के उच्चाधिकारियों के ध्यान में उचित कार्यवाही हेतु लाया जाता है कि शेष किराये की वसूली हेतु शीघ्र समुचित कार्यवाही की जावे तथा इस अनुवर्तन आगामी पडताल पर लेखा परीक्षण में दिखाई जावे ।

35• बिना रसीदें (ए•पी•आर) प्राप्त किये भुगतान किया जाना :-

वा0सं0 4, दिनांक 2•4•1993 के अन्तर्गत सर्वश्री बाबूलाल, घनश्याम दास तथा सूरत राम दिहाडीदार चपडासियों व कर्ण सिंह दिहाडीदार चौकीदार को मु0 42•40 रूपये प्रतिदिन प्रति व्यक्ति के हिसाब से मु0 1314/- रूपये प्रति व्यक्ति माह मार्च, 1993 की दिहाडी का मु0 5256/- रूपये का भुगतान किया गया जिसकी रसीदें (ए•पी•आर) मण्डल के अभिलेख में उपलब्ध न होने के कारण अंकेक्षण को नहीं दिखाई गई तथा इस प्रकारण में ऐसा प्रतीत होता है कि भुगतान सम्बन्धित दिहाडीदारों से रसीदें प्राप्त किये बिना ही किया गया है । अत: इस भुगतान के सन्दर्भ में अब रसीदें प्राप्त करके अनुपालना आगामी अंकेक्षण को दिखाई जाये ।

36• लघु आपत्ति विवरणिका :-

यह विवरणिका पृथक से जारी नहीं की गई है क्योंकि समस्त लघु आपत्तियों का निराकरण लेखा परीक्षण के समय ही कर दिया गया है ।

37• निष्कर्ष:-

मण्डल के लेखाओं में और अधिक सुधार की आवश्यकता है तथा गत लेखा परीक्षण प्रतिवेदनों की शेष आपत्तियों का शीघ्र निराकरण किया जावे ।

हस्ता/-
उप नियन्त्रक,
स्थानीय निधि लेखा, हि0प्र0, शिमला

45 — 197 —

-3 FEB 1996

पृष्ठांकन सं0 फिन॥एल•ए॥एच॥2॥15॥14॥123/88/खण्ड-4

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवम् आवश्यक कार्यवाई हेतु प्रेषितहै :-

1• कार्यपालक अभियन्ता, हि0प्र0, आवास बोर्ड, निर्माण मण्डल शिमला-2 को इस आशय के साथ प्रेषित की जाती है कि वह इस अंकेक्षण प्रतिवेदन पर की गई कार्यवाई का सटिप्पण उत्तर इस विभाग को अतिशीघ्र भेजें ।

2• आयुक्त एवं सचिव॥आवास॥ हि0प्र0॥ सरकार शिमला-2

3• सचिव एवम् मुख्य अभियन्ता, हि0प्र0 आवास बोर्ड,निगम बिहार शिमला-171002•

4• श्री शाम लाल कपूर, उप नियन्त्रक, द्वारा------------------

5• श्री सैनराम रंजन अनुभाग अधिकारी, द्वारा----------------

31/1/96

उप नियन्त्रक,
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग,
हिमाचल प्रदेश,शिमला-171002•

xxxxx